ग्रामीण कार्य विभाग में सेवानिवृत सहायक अभियंताओं को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन

ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 132 सेवानिवृत्त सहायक अभियताओं को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना है। एतद् हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता एवं शर्तें निम्नवत् होंगी :–

1. ऊपर वर्णित पदों पर केवल सेवानिवृत सहायक अभियंता ही आवेदन देने के पात्र होंगे।
2. आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की उम्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को 60 वर्ष से कम एवं 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. नियोजन अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर पुनः अवधि विस्तार किया जा सकेगा। सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर कभी भी उन्हें सेवा से हटाया जा सकेगा।
4. संविदा पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत सहायक अभियंताओं का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुरूप प्रावधान इस संबंध में लागू माने जायेंगे।
5. सेवानिवृत्त कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस विभाग से सेवानिवृत हुए हैं, उस विभाग में उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं चल रही है तथा उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया गया है। आवेदक जिस विभाग से सेवानिवृत हुये हैं, उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना भी आवश्यक होगा। आवेदक एक शपथ पत्र के माध्यम से यह भी घोषित करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक या अन्य मामले से संबंधित कोई मुकदमा नहीं चल रहा है तथा किसी थाने में कोई काण्ड दर्ज नहीं है।
6. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.2018 के अपराह्न 5:00 बजे तक होगी। आवेदक अपना आवेदन अंतिम तिथि तक ग्रामीण कार्य विभाग के अपर सचिव के कोषांग में जमा कर सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. इसे विभागीय वेवसाईट www.rwdbihar.in पर भी देखा जा सकता है।
8. आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् होगा:–

ग्रामीण कार्य विभाग में सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व अभिप्रमाणित अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकायें

1. सेवानिवृत्त सहायक अभियंता का नाम–
2. जन्म तिथि–
3. सेवानिवृत्ति की तिथि–
4. विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुये हैं–
5. सेवानिवृत्त होने वाले विभाग में लम्बित कार्रवाई/आरोप/दण्ड का पूर्ण विवरण–

   (यदि कोई कार्रवाई/आरोप/दण्ड लम्बित नहीं है तो स्पष्ट उल्लेख करें)
6. आवेदक का स्थायी पत्ता–
7. आवेदक के पत्राचार का पत्ता एवं मोबाईल नं0–
8. **आवेदक का हस्ताक्षर एवं दिनांक**

नोटः–**आवेदन के साथ स्वपत्ता अंकित लिफाफा** उचित टिकट चिपकाकर संलग्न किया जाय।

<u>विज्ञापनदाता का नाम एवं</u> **पत्ता** –श्री संजय कुमार (भा0प्र0से0),
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पाँचवा तल, विश्वेश्वरैया भवन,
बेली रोड, पटना, पिनकोड–800023

ज्ञापांक–5/अ0प्र0–01–17/2016 12462/पटना, दिनांक– 17.12.18

प्रतिलिपिः–श्री सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, पी.आर.डी., ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.12

सरकार के विशेष सचिव